न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 16 /2026 (Bank Case)

GCMS NO. – 2026/27

बैंक ऑफ बडौदा शाखाः महावीर नगर, कोटा (राज.) जर्ये प्राधिकृत अधिकारी संदीप सिंह। — प्रार्थी

बनाम

एनपीए खाता 1 (मैसर्स अजय कन्सट्रक्शन)–

1. मैसर्स अजय कन्सट्रक्शन –(ऋणी एवं फर्म)
पता– 20, वीर सांवरकर नगर, रंगबाडी मुख्य रोड, कोटा (राज.)
अन्य पता– 6–सी–13, महावीर नगर तृतीय, कोटा (राज.) 324005
2. श्री अजय गौड पुत्र श्री राम किशन शर्मा (प्रोपराईटर / जमानतदार)
पता– मकान नं0 12–13, जनकपुरी, मुख्य रोड, गॉव खण्ड गावडी, तह0–लाडपुरा, कोटा (राज.) 324005
अन्य पता– 6–सी–13, महावीर नगर तृतीय, कोटा (राज.) 324005
3. श्रीमती आरती गौड पत्नी श्री अजय गौड –(जमानतदार)
पता– मकान नं0 12–13, जनकपुरी, मुख्य रोड, गॉव खण्ड गावडी, तह0–लाडपुरा, कोटा (राज.) 324005
अन्य पता– 6–सी–13, महावीर नगर तृतीय, कोटा (राज.) 324005

एनपीए खाता 2 (श्री अजय गौड)–

4. श्री अजय गौड पुत्र श्री राम किशन शर्मा –(ऋणी)
पता– मकान नं0 12–13, जनकपुरी, मुख्य रोड, गॉव खण्ड गावडी, तह0–लाडपुरा, कोटा (राज.) 324005
अन्य पता– 6–सी–13, महावीर नगर तृतीय, कोटा (राज.) 324005
5. श्रीमती आरती गौड पत्नी श्री अजय गौड –(सह–ऋणी)
पता– मकान नं0 12–13, जनकपुरी, मुख्य रोड, गॉव खण्ड गावडी, तह0–लाडपुरा, कोटा (राज.) 324005
अन्य पता– 6–सी–13, महावीर नगर तृतीय, कोटा (राज.) 324005

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादौन अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 18 .03.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ऑफ बडौदा शाखा महावीर नगर, कोटा (राज.)–324005 में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 15.12.2022 को बडौदा ओवर ड्राफट ऋण खाता संख्या 31920400000401 (एनपीए खाता 1) में रूपये 2,50,00,000 / – (अक्षरेः रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) एवं **(एनपीए खाता 2)** खाता संख्या 31920600002391 में दिनांक 16.11.2022 को रूपये 1,17,00,000 / – (अक्षरेः रूपये एक करोड सत्रह लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे एनपीए खाता 1 (मैसर्स अजय कन्सट्रक्शन) में **1) फर्म की फेक्ट्री / ऑफिस में स्थित, वर्ममान और भविष्य की सभी मशीनरी, उपकरण इलेक्ट्रीकल इस्टालेशन, फर्नीचर और फिक्स्चर्स, ऑफिस उपकरण, कार वाहन और अन्य चल फिक्स्ड संपत्तियों का दृष्टिबंधक।**

2) फर्म की वर्तमान और भविष्य दोनों की पूरी कच्ची सामग्री यानी प्रोसेस में स्टॉक, स्टोर्स और स्पेयर्स, पैकिंग सामग्री, तैयार माल और बुक–डेट्स का दृष्टिबंधक।

3) श्री अजय गौड पुत्र श्री रामकिशन शर्मा के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं0 12 एवं 13, जनकपुरी, गॉव– खण्ड गावडी, तह0– लाडपुरा, कोटा–324002 पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 507 वर्ग गज है। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में: प्लॉट नं0 26 एवं 27, पश्चिम में:– मुख्य रोड, उत्तर में:– प्लॉट नं0 11, दक्षिण में:– रोड, है (यह संपत्ति श्री अजय गौड पुत्र श्री राम किशन शर्मा, खाता संख्या 31920600002391, रूपये 117.0 लाख के माध्यम से दी गई ऋण सुविधा में भी विस्तारित है)

4) श्रीमती आरती गौड पत्नी श्री अजय गौड के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक सम्पत्ति जो दुकान नं0 एफटी–06–बी, चौथी मंजिल, बिना छत के अधिकार के, "सेन्ट्रल स्क्वायर मॉल", 12/208 एवं 207, कोटडी रोड, गुमानपुरा, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 272 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में: खुली भूमि, पश्चिम में:– सामान्य मार्ग, उत्तर में:– खुली भूमि एवं लिफ्ट, दक्षिण में:– ऑफिस नं0 एफटी–06–ए, है एवं

एनपीए खाता 2 (श्री अजय गौड) में श्री अजय गौड पुत्र श्री राम किशन शर्मा के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं0 12 एवं 13, जनकपुरी, गॉव– खण्ड गावडी, तह0– लाडपुरा, कोटा– 324002 पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 507 वर्ग गज है। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में: प्लॉट नं0 26 एवं 27, पश्चिम में:– मुख्य रोड, उत्तर में:– प्लॉट नं0 11, दक्षिण में:– रोड, है

(यह संपत्ति मैसर्स अजय कन्सट्रक्शन जर्ये प्रोपराईटर श्री अजय गौड पुत्र श्री राम किशन शर्मा, खाता संख्या 31920400000401, रूपये 250.0 लाख के माध्यम से दी गई ऋण सुविधा में भी विस्तारित है) को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 21.09.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के ऋण खाता संख्या 31920400000401 में रूपये 2,86,28,675.10/–(अक्षरे: रूपये दो करोड छियासी लाख अठ्ठाईस हजार छ सौ पिचहत्तर रूपये एवं दस पैसे मात्र) एवं अन्य खाते में रूपये 1,11,71,503.50/–(अक्षरे: रूपये एक करोड ग्यारह लाख इकत्तर हजार पाच सौ तीन एवं पचास पैसे मात्र) इस प्रकार कुल बकाया ऋण रूपये 3,98,00178.60/– (अक्षरे: रूपये तीन करोड अठानवें लाख एक सौ अठहत्तर एवं साठ पैसे मात्र) दिनांक 21.09.2025 तक बकाया रकम शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 25.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 25.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 25.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधक एनपीए खाता 1 (मैसर्स अजय कन्सट्रक्शन) में 1) फर्म की फेक्ट्री/ऑफिस में स्थित, वर्तमान और भविष्य की सभी मशीनरी, उपकरण इलेक्ट्रीकल इस्टालेशन, फर्नीचर और फिक्स्चर्स, ऑफिस उपकरण, कार वाहन और अन्य चल फिक्स्ड संपत्तियों का दृष्टिबंधक।

2) फर्म की वर्तमान और भविष्य दोनों की पूरी कच्ची सामग्री यानी प्रोसेस में स्टॉक, स्टोर्स और स्पेयर्स, पैकिंग सामग्री, तैयार माल और बुक-डेट्स का दृष्टिबंधक।

3) श्री अजय गौड पुत्र श्री रामकिशन शर्मा के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं0 12 एवं 13, जनकपुरी, गॉव- खण्ड गावडी, तह0- लाडपुरा, कोटा- 324002 पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 507 वर्ग गज है। जिसकी चर्तु सीमाए- पूर्व में: प्लॉट नं0 26 एवं 27, पश्चिम में:- मुख्य रोड, उत्तर में:- प्लॉट नं0 11, दक्षिण में:- रोड, है (यह संपत्ति श्री अजय गौड पुत्र श्री राम किशन शर्मा, खाता संख्या 31920600002391, रूपये 117.0 लाख के माध्यम से दी गई ऋण सुविधा में भी विस्तारित है)

4) श्रीमती आरती गौड पत्नी श्री अजय गौड के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक सम्पत्ति जो दुकान नं0 एफटी-06-बी, चौथी मंजिल, बिना छत के अधिकार के, "सेन्ट्रल स्क्वायर मॉल", 12/208 एवं 207, कोटडी रोड, गुमानपुरा, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 272 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तु सीमाए- पूर्व में: खुली भूमि, पश्चिम में:- सामान्य मार्ग, उत्तर में:- खुली भूमि एवं लिफ्ट, दक्षिण में:- ऑफिस नं0 एफटी-06-ए, है एवं एनपीए खाता 2 (श्री अजय गौड) में -

श्री अजय गौड पुत्र श्री राम किशन शर्मा के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं0 12 एवं 13, जनकपुरी, गॉव- खण्ड गावडी, तह0- लाडपुरा, कोटा- 324002 पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 507 वर्ग गज है। जिसकी चर्तु सीमाए- पूर्व में: प्लॉट नं0 26 एवं 27, पश्चिम में:- मुख्य रोड, उत्तर में:- प्लॉट नं0 11, दक्षिण में:- रोड, है (यह संपत्ति मैसर्स अजय कन्सट्रक्शन जर्ये प्रोपराईटर श्री अजय गौड पुत्र श्री राम किशन शर्मा, खाता संख्या 31920400000401, रूपये 250.0 लाख के माध्यम से दी गई ऋण सुविधा में भी विस्तारित है) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष सामरिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)